

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(77)नवि/3/2010पार्ट-II


जयपुर, दिनांक : 25 MAR 2013

आदेश

विषय :- हाइवे कन्ट्रोल बैल्ट (प्लान्टेशन कॉरीडोर) की भूमि को खातेदार को आवंटन/लीजडीड दिये जाने या नहीं दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में अनेक ऐसे प्रकरण प्राप्त हुये हैं, जिनमें मास्टर प्लान में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के सहारे प्रस्तावित वृक्षारोपण पट्टी की भूमि के आवंटन व लीजडीड जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। ऐसी भूमि जो वृक्षारोपण पट्टी के क्षेत्र में आ रही है उसे योजना में पार्क व खुले स्थल के रूप में निर्धारित क्षेत्रफल में सम्मिलित किया जाये। राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर हाईवे से लगती हुई प्लान्टेशन कॉरीडोर के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :-

1. कृषि भूमि के रूपान्तरण हेतु आवेदित भूमि जिसमें राजमार्ग के दोनों ओर प्लान्टेशन कॉरीडोर प्रस्तावित हैं, तो सम्पूर्ण भूमि का रूपान्तरण किया जावे व आदेश में यह शर्त अंकित की जाये कि राजमार्ग के दोनों ओर मार्गाधिकार के पश्चात् 75 मीटर भूमि प्लान्टेशन के लिये सुरक्षित रखी जावेगी व इस भू-पट्टी में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
2. इस भूमि पर स्वामित्व आवेदक का ही रहेगा, अतः आवेदक को एफ.ए.आर. का लाभ दिया जायेगा व प्लान्टेशन कॉरीडोर को भूखण्ड का सैटबैक माना जायेगा।
3. चूंकि भूमि का स्वामित्व आवेदक का ही रहेगा, अतः सम्पूर्ण क्षेत्रफल की लीजडीड जारी की जावेगी।
4. आई.आर.सी. कोड की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित होने पर प्लान्टेशन कॉरीडोर में पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय किये जा सकते हैं।



(एन.एल.मीना)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
8. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।



संयुक्त शासन सचिव-तृतीय